



सरकारी गज़ट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 27 अप्रैल, 1974

(7 वंशाब्द, शक संवत् 1896)

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग -1

संख्या 1258/17-वि-1—27-74

लखनऊ, 27 अप्रैल, 1974

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 24 अप्रैल, 1974 ई० को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1974)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

आवश्यक वस्तुओं में मुनाफाखोरी, जमाखोरी तथा तस्करी के विरुद्ध प्रभावकारी उपाय करने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 संक्षिप्त नाम कहलायेगा। और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (2) में, खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित 1955का अधिनियम संख्या 10 की धारा 3 का संशोधन खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

“(च) किसी आवश्यक वस्तु की जमाखोरी को रोकना,”

3—मूल अधिनियम की धारा 6-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:— धारा 6-क के

“6-क—जहाँ कोई आवश्यक वस्तु या कोई जलयान, गाड़ी अथवा अन्य प्रवहण या पशु उसके सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन किये गये किसी आदेश के अनुसरण में अभिगृहीत किया जाता है वहाँ वह, अयुक्तयुक्त विलम्ब के विना, उस जिले के जिसमें ऐसी आवश्यक वस्तु, जलयान, गाड़ी अथवा अन्य प्रवहण या पशु अभिगृहीत किया जाता है, कलेक्टर के समक्ष पेश किया जायगा चाहे ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिये अभियोजन संस्थित किया जाता है या नहीं, यदि कलेक्टर का — स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

- (क) यह समाधान हो जाता है कि इस प्रकार अभिगृहीत आवश्यक वस्तु के सम्बन्ध में आदेश का उल्लंघन हुआ है तो वह उसके अधिहरण का आदेश कर सकेगा ;
- (ख) इस प्रकार अभिगृहीत जलयान, गाड़ी, प्रवहण या पशु के सम्बन्ध में यह समाधान हो जाता है कि इसका प्रयोग आदेश का उल्लंघन करके किसी आवश्यक वस्तु की तस्करी करने के प्रयोजनार्थ किया गया था, तो वह ऐसे जलयान, गाड़ी, प्रवहण या पशु के अधिहरण का आदेश कर सकेगा :

परन्तु इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई खाद्यान्न या खाद्य-तिलहन जो उनके सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन किये गये आदेश का अनुसरण में किसी उत्पादक से अभिगृहीत किये गये हों, यदि अभिगृहीत खाद्यान्न या खाद्य-तिलहन उसके द्वारा उत्पादित किये गये हों, इस धारा के अधीन अधिहृत नहीं किये जायेंगे :

परन्तु यह और कि किसी जलयान, गाड़ी अथवा अन्य प्रवहण, या पशु का अधिहरण नहीं किया जायगा यदि उसका स्वामी यह सावित कर दे कि इनका प्रयोग स्वयं स्वामी, उसके अभिकर्ता, यदि कोई हो, तथा जलयान, गाड़ी, प्रवहण या पशु के मारसाधक व्यक्ति की जानकारी अथवा मौनानुकूलता के बिना आवश्यक वस्तु की तस्करी करने के प्रयोजनार्थ किया गया था और उनमें से प्रत्येक ने इस प्रकार प्रयोग किये जाने के विरुद्ध ऐसी सभी पूर्वावधानी बरती की जिसकी आशा मामूली प्रज्ञा वाले व्यक्ति से की जा सकती है :

परन्तु यह भी कि जहाँ किसी जलयान, गाड़ी, प्रवहण या पशु का प्रयोग माल अथवा यात्रियों को भाड़े पर ले जाने के लिये किया जाता है, वहाँ, जलयान, गाड़ी, प्रवहण या पशु के स्वामी को अधिहरण के बदले में ऐसा जुर्माना देने का विकल्प दिया जायगा जो ऐसे माल की, जिसकी तस्करी की गयी हो, अभिग्रहण के दिनांक पर बाजार-कीमत से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड में, व्याकरणिक रूप भेद सहित, पद 'तस्करी' से धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के प्रति निर्देश से उक्त धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश में अन्तर्विष्ट किसी आवश्यक वस्तु के संचालन पर किसी निर्बन्धन का उल्लंघन करने का कोई अपराध अभिप्रेत है।

धारा 6-ख का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 6-ख में, जहाँ कहीं भी शब्द "आवश्यक वस्तु" आये हों उनके पश्चात् शब्द "या कोई जलयान, गाड़ी अथवा अन्य प्रवहण या पशु" रख दिये जायें और शब्द "की जाती है" के स्थान पर शब्द "किया जाता है" रख दिये जायें।

धारा 7 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में—

- (1) उपखण्ड (2) में, शब्द "जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा" के स्थान पर शब्द "जिसकी अवधि तस्करी के अपराध की दशा में दो वर्ष से कम न होगी, और किसी अन्य अपराध की दशा में छः मास से कम न होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक विस्तारित हो सकती है, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा जो तस्करी के अपराध की दशा में उस वस्तु जिसकी तस्करी की जाय अथवा जिसकी तस्करी किये जाने के लिये प्रयत्न किया जाय, के मूल्य के दुगुने से कम न होगा", रख दिये जायें ;

(2) उसका 'रन्तुक निकाल दिया जाय ;

(3) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस खण्ड में, व्याकरणिक रूपभेद सहित पद "तस्करी का अपराध" से धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के प्रति निर्देश से उक्त धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश में अन्तर्विष्ट किसी आवश्यक वस्तु के संचालन पर किसी निर्बन्धन का उल्लंघन करने का कोई अपराध अभिप्रेत है।"

धारा 10-क का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 10-क में, शब्द "जमानतीय" के स्थान पर शब्द "अजमानतीय" रख दिया जाय।

धारा 11 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 11 में, शब्द "ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 में यथापरिभाषित लोक सेवक हैं" के स्थान पर शब्द "जिला मजिस्ट्रेट या ऐसे अन्य अधिकारी राज्य सरकार के तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश से सशक्त हो, के आदेश से अथवा प्राधिकार से की गई हो" रख दिये जायें।

8—मूल अधिनियम की धारा 12-क में —

(1) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

धारा 12-क का संशोधन

"(1-क) उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि राज्य सरकार की राय हो कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय या वितरण, अथवा उसमें व्यापार या वाणिज्य, और अन्य सुसंगत बातों के हित में यह आवश्यक है कि ऐसी आवश्यक वस्तु के सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन दिये गये किसी आदेश के उल्लंघन का संक्षेपतः विचारण किया जाय तो राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे आदेश को इस धारा के अधीन संक्षिप्त विवरण के प्रयोजनों के लिये विशेष आदेश विनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसी हर एक अधिसूचना, जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी ;"

(2) उपधारा (2) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (1) के अधीन" के पश्चात् शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक "अथवा उपधारा (1-क) के अधीन" रख दिये जायें और शब्द "राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त विशेष रूप से सशक्त प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा" के स्थान पर शब्द "प्रथम वर्ग के ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा जिसे कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो" रख दिये जायें ;

(3) उपधारा (4) में, शब्द अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (1) के अधीन" के पश्चात् शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक "अथवा उपधारा (1-क) के अधीन" रख दिये जायें।

9—(1) आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1974 एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

निरसन तथा अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानो यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था।

UTTAR PRADESH SARKAR

VIDHAIKA ANUBHAG-1

No. 1258(2)/XVII-V-1-27/74

Lucknow, dated April 27, 1974.

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Avashyak Vastu (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1974, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 1973) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 24, 1974.

ESSENTIAL COMMODITIES (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1974

(U. P. Act NO. 9 OF 1974)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An Act

to amend the Essential Commodities Act, 1955, in its application to Uttar Pradesh with a view to taking effective measures against profiteering in and hoarding and smuggling of essential commodities.

It is hereby enacted in the Twenty-fifth year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Essential Commodities (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1974.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Short title of and extent.

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2, 1974

Amendment
of section 3
of Act X of
1955.

2. In section 3 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely :--

“(ff) for preventing the hoarding of any essential commodity;”

3. For section 6-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :--

Substitution
of new
section for
section 6-A.

“6-A. Where any essential commodity, or any vessel, vehicle or other conveyance or animal is seized in pursuance of an order made under section 3 in relation thereto, it may be produced, without any unreasonable delay, before the Collector of the district in which such essential commodity, vessel, vehicle, conveyance or animal is seized whether or not a prosecution is instituted for the contravention of such order, the Collector ---

(a) if satisfied that there has been a contravention of the order in respect of the essential commodity so seized, may order confiscation thereof;

(b) if satisfied in respect of the vessel, vehicle, conveyance or animal so seized that it was used for purposes of smuggling any essential commodity in contravention of the order, may order confiscation of such vessel, vehicle, conveyance or animal:

Provided that, without prejudice to any action which may be taken under any other provision of this Act, no foodgrains or edible oilseeds seized in pursuance of an order made under section 3 in relation thereto from the producer shall, if the seized foodgrains or edible oil-seeds have been produced by him, be confiscated under this section :

Provided further that a vessel, vehicle or other conveyance or animal shall not be liable to confiscation if the owner thereof proves that it was used for purposes of smuggling of the essential commodity without the knowledge or connivance of the owner himself, his agent, if any, and the person in charge of the vessel, vehicle, conveyance or animal and that each of them had taken all such precautions against such use as may be expected of a man of ordinary prudence :

Provided also that where any such vessel, vehicle, conveyance or animal is used for the carriage of goods or passengers for hire, the owner of the vessel, vehicle, conveyance or animal shall be given an option to pay in lieu of its confiscation a fine not exceeding the market price at the date of seizure of the goods sought to be smuggled.

Explanation---In this clause, the expression “smuggling” with its grammatical variations means any offence consisting of contravention of any restriction on the movement of an essential commodity contained in an order made under section 3 with reference to clause (d), of sub-section (2) of that section.”

Amendment
of section
6-B,

4. In section 6-B of the principal Act, after the words “essential commodity”, wherever they occur, the words “or any vessel, vehicle or other conveyance or animal” shall be inserted.

Amendment
of section 7.

5. In section 7, of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a)---

(i) in sub-clause (ii), for the words “for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine” the words “for a term which in the case of an offence of smuggling shall not be less than two years, and in the case of any other offence, shall not be less than six months, but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine which in the case of an offence of smuggling shall not be less than double the value of article smuggled or attempted to be smuggled;” shall be substituted;

(ii) the proviso thereto, shall be omitted;

(iii) at the end, the following explanation shall be *inserted*, namely:--
 "Explanation—In this clause, the expression offence of smuggling, with its grammatical variations, means any offence consisting of contravention of any restriction on the movement of an essential commodity contained in an order made under section 3 with reference to clause (d) of sub-section (2) of that section."

6. In section 10-A of the principal Act, for the words "bailable" the word "non-bailable" shall be *substituted*.

7. In section 11 of the principal Act, for the words "by person who is a public servant as defined in section 21 of the Indian Penal Code", the words "by order of, or under authority from the District Magistrate or such other officer as may be empowered by the State Government by general or special order in this behalf" shall be *substituted*.

8. In section 12-A, of the principal Act—

(i) *after* sub-section (i), the following sub-section shall be *inserted*, namely :--

"(i-A) without prejudice to the powers of the Central Government under sub-section (i) if the State Government is of opinion that a situation has arisen where, in the interests of production, supply or distribution of any essential commodity, or trade or commerce therein, and other relevant considerations, it is necessary that the contravention of any order made under section 3 in relation to such essential commodity should be tried summarily, the State Government may, by notification in the official *Gazette*, specify such order to be a special order for purposes of summary trial under this section, and every such notification shall be laid as soon as may be after it is issued, before both houses of the State Legislature; "

(ii) in sub-section (2), *after* the words, figure and brackets "under sub-section (1)", the words figure, letter and brackets "or under sub-section (1-A)" shall be *inserted* and for the words "a Magistrate of the first class specially empowered in this behalf by the State Government" the words "a Magistrate of the first class having experience as such of not less than five years" shall be *substituted* ;

(iii) in sub-section (4), *after* the words, figure and brackets, "under sub-section (1)", the words, figure, letter and brackets "or under sub-section (1-A)", shall be *inserted*.

9. (1) Essential Commodities (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1974 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act was in force at all material times.

आज्ञा से,
 कैलाश नाथ गोयल,
 सचिव ।

U. P. Ordinance No. 2 of 1974.